कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ (राज.)

email : dc-chi-rj@nic.in (☎01472-294081)

क्रमांक / स्था. / 2021 / 1642 दिनांक : 14.04.2021

प्रेषिति :

1 विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, (सं.–1 / सं.–2), चित्तौड़गढ़
2 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चित्तौड़गढ़
3 न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चित्तौड़गढ़
4 विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, चित्तौड़गढ़
5 विशिष्ठ न्यायाधीश (एस.सी. / एस.टी. प्रकरण) चित्तौड़गढ़
6 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (सं.–1 / सं.–2 / सं.–3) चित्तौड़गढ़ / (सं.–1 / सं.–2) निम्बाहेड़ा
7 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / संख्या–01, निम्बाहेड़ा / बेगूं / बड़ीसादड़ी / कपासन / रावतभाटा / डूंगला
10 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सं.–1 / सं.–2, चित्तौड़गढ़) / (सं–2, निम्बाहेड़ा)
11 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट / चित्तौड़गढ़ / निम्बाहेड़ा / बड़ीसादड़ी / मडफिया / कपासन / बेगूं / राशमी / गंगरार
12 अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
13 विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) चित्तौड़गढ़
14 न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़ / भदेसर
15 प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़

विषय : Novel Corona Virus(Covid-19) के प्रसार को रोकने हेतु जारी निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 03 / पीआई / 2021 दिनांक 10.04.2021 के मुताबिक जहां तक संभव हो, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई करें और जिन मामलों में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है और जिनमें समयबद्ध निस्तारण के निर्देश हैं और जो प्रकरण दस वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हीं प्रकरणों में गवाही लेखबद्ध की जावे। अन्य प्रकरणों में जब तक दोनों पक्षकार सहमत न हों, तब तक पक्षकारान पर गवाहान के लिये दबाव न डालें।

उक्त दिशानिर्देशों के निर्देश 9 में जो सीआईएस. के कोविड–19 मोड्यूल उल्लेख किया गया है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपने रीडर को हिदायत दें कि वह अन्य सभी मामलों में सुबह दस से ग्यारह बजे तक प्रकरणों में पेशियां रख देवे और कॉज लिस्ट सी.आई.एस. पर अपडेट करवा देवे। ताकि जिन प्रकरणों में काम नहीं होना हो, उन प्रकरणों की पेशियां पता करने के लिये पक्षकारान को इजलास में नहीं आना पड़े।

समस्त अधिकारीगण को यह भी हिदायत दी जाती है कि अपने इजलास, चेम्बर, स्टाफ रूम में सुबह दस बजे से पहले और लंच समय में, दो दफा 1 प्रतिशत हाईड्रोक्लोराईड का पोछा लगवाना सुनिश्चित करें तथा डोर हेंडल,

कुर्सियों के हेंडल व अन्य जगह जहां बार बार हाथ लगता है उन जगहों पर 1 प्रतिशत हाईड्रोक्लोराईड का स्प्रे करावें।

यह भी सुनिश्चित करें कि कोई कर्मचारी बिना मास्क के न्यायालय में प्रवेश न करे और फ्लू के लक्षण होने पर उन कर्मचारियों को शीघ्र उसके घर भिजवा दें और निर्धारित अवकाश स्वीकृत करें। तथा अधिवक्तागण व पक्षकारान को समझायें कि न्यायालय के इजलास में किसी भी सूरत में बिना मास्क प्रवेश न करें और इजलास में भीड़ इकट्ठी न करें।

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के मुताबिक अपने इजलास के प्रवेश द्वार में पर्याप्त मात्रा में सेनीटाईजर व टॉयलेट में लिक्विड सोप आदि की व्यवस्था करवायें।

मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालयों में सबसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था करवायें और अपने क्षेत्र के मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से संपर्क कर मेन गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनश्चित करें ताकि बिना थर्मल स्क्रीनिंग कराये कोई व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं करे और परिसर में केंटीन, फोटोस्टेट और जो भी खाद्य सामग्री की दुकानें हैं उन्हें हिदायत दें कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करें और परिसर में पान, गुटखा का सेवन न करे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करवायें और परिसर में सतर्कता संकेतक (Do & Dont's) नहीं लगे हों तो अधिक से अधिक लगवायें।

14/3/2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चित्तौड़गढ़